Amendment of National Security Act

4856. SHRI AMAR ROYPRADHAN: SHRI P.M. SAYEED:

SHRI B.V. DESAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government propose to amend the National Security Act keeping in view the worsening law and order situation in Punjab and Assam States;
- (b) if so, which Section is to be amended and the reasons therefor;
- (c) whether it is a fact that in exercising the general laws of the country, the law and order situation in these States can be controlled;
- (d) if so, the circumstances under which it is necessary to amend the NSA; and
- (e) if not, the specific incidents under which the general laws of the country are not applicable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (e) Although some State Governments have suggested certain amendments to the Na tional Security Act on the basis of difficulties experienced by them in the implementation of the provisions thereof, Government do not at present consider it necessary to amend the said Act. Due to extremist activities in Punjab it had become necessary to enact Punjab Disturbed Area Act and Armed Forces Special Powers Act to give additional powers for arrest, search, seizures to police and Security Force in areas declared disturbed in order that hit and run tactics of extremists and their hide-outs could be effectively conducted. In Assam similar Acts in existence have also been involved by State Government to deal with disturbed conditions and extremist activities.

सरकारी उपक्रमों के लिए सोवियत संघ की सहायता

4857. श्री रामावतार ज्ञास्त्री: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सोवियत संघ सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने की कोई पेशकश की है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रति-किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (भी एस. एम. कृष्णा): (क) से (ग) सोवियत संघ की सरकार सोवियत महायता प्राप्त सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा निर्यात किये जाने के लिये सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियक्ति करने सोवियत संघ में भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने, फालत हिस्से-पूर्जी का संभरण करने, जिन उत्पादों का निर्माण किया जायेगा उनकी प्रौद्योगिकी प्रदान करने, उत्पादों की डिजाइन को उन्नत बनाने, संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चलाने. सोवियत संघ को उपकरणों की आपति के लिए कयादेश देने, तथा सोवियत संघ से अपेक्षित प्रलेखों भेजने एवं हिस्से-पूजीं का निर्माण पुरा करने, कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने आदि जैसी सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ उन वस्तुओं/उपकरणों के उत्पादन में सहयोग देने के लिए एक सम-झौता भी हो गया है जिन पर दोनों पक्षों की सहमति होगी।

जेल सुवार सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

4858. श्री रामावतार शास्त्री:

श्री ए० नीलालीहियावसन नाडारः क्या गृह मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे किः